सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
कार्यालय
आयकर आयुक्त
16, मुमल टॉवर, सहेली मार्ग, उदयपुर,(राज.)

क्रमांकः आ.आ. / उदय / न्यायिक / 2010–2011 / 3586 दिनांक : 14.03.2011

आदेश :–

विषयः– आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी सहपठित नियम 11AA के अधीन छूट।

— 00 —

दानदाताओं द्वारा ***सेवा मन्दिर, पुराना फतेहपुरा, उदयपुर*** **(PAN AACTS5435R)** को दिये गये दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन उक्त धारा में विहित सीमाओं तथा शर्तों के साथ आयकर से छुट के योग्य होंगे ।

यह छूट दिनांक **01.04.2011** कर निर्धारण वर्ष **2011–12** से निम्नाकिंत शर्तों के साथ मान्य होकर किसी भी तरह की अनियमितता पाये जाने पर छूट समाप्त की जा सकेगी :–

1. दानदाताओं को दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित किये जावें और यह स्पष्ट रूप से लिखा जावें कि यह प्रमाण पत्र किस दिनांक / अवधि तक मान्य है ।
2. आयकर विवरणी आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं चिटठा सम्बन्धित आयकर अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में प्रकरण आता हो, को सालाना नियत तिथी को प्रस्तुत किये जावें ।
3. यदि संस्था के संविधान / गठन में कोई संशोधन किया जावे तो इसकी जानकारी इस कार्यालय को तत्काल दी जावे ।
4. संस्था को दिए गए दान के लिए दानदाता आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के प्रावधानों / शर्तों / सीमाओं के अनुसार छूट प्राप्त करने के हकदार होगें ।

कार्यालय आयकर आयुक्त उदयपुर

Sd/-
(एस. पी. मीणा)
आयकर आयुक्त
उदयपुर

नोट :–

इस प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त संस्था को अपने कर निर्धारण के समय उसके द्वारा किये गये खर्चों की छूट तब ही प्राप्त होगी जब निर्धारिती (संस्था) आयकर अधिनियभ की धारा 2(15) के प्रावधानों के अनुसार पुण्यार्थ है और धारा 11, 12, 12ए(ए) तथा धारा 13 में उल्लेखित शर्तें पूरी करती हो।

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष / न्यासी ***सेवा मन्दिर, पुराना फतेहपुरा, उदयपुर।***
2. आयकर अधिकारी, वार्ड–2(2), उदयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि संस्था / प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आयकर विवरणी की स्वयं जांच–पडताल करें कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है या नहीं एवं आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं करने तथा किसी अनियमितता पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करें ताकि छूट समाप्त की जा सके।
3. अपर आयकर आयुक्त, रेंज–2, उदयपुर।

(के. आर. बावल)
आयकर अधिकारी (तक.)
कृते आयकर आयुक्त, उदयपुर